दिनांक-07.07.2012 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुँआ, पटना-7 के कार्यकलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

प्रधान सचिव द्वारा राजकीय फार्मेसी संस्थान के कार्यों की समीक्षा की गयी। राजकीय फार्मेसी संस्थान को मूलभूत समस्याओं का समाधान करने तथा संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुरुप विकसित करने हेतु एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। कार्य योजना को तीन हिस्सों में बांटा जाय, लघुकालीन (Short term), मध्यावधि (Medium term) एवं दीर्घकालीन (Long term)।

(अनुपालन-प्राचार्य राजकीय फार्मेसी संस्थान)

2. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि राजकीय फार्मेसी संस्थान को और बेहतर बनाने के लिए प्राचार्य की अध्यक्षता में निम्न रुप से एक एपेक्स बॉडी का गठन किया जाय। यह समिति राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं राज्य खाद्य प्रयोगशाला का भी समन्वय एवं व्यवस्था सुधार करने हेतु समय-समय पर सुझाव उपलब्ध करायेगी ।

(क) प्राचार्य द्वारा मनोनीत उप-प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान (संयोजक)

(ख) प्राचार्य द्वारा चयनित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अथवा व्याख्याता ।

(ग) श्री सावर भारती, प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग ।

(घ) प्रभारी औषधि प्रयोगशाला एवं प्रभारी खाद्य प्रयोगशाला ।

(ड़) छात्र प्रतिनिधि- 1 छात्र-बी० फार्म०

1 छात्रा-बी० फार्म००

1 छात्र-डी० फार्म०

1 छात्रा-डी० फार्म०

यह एपेक्स बॉडी संस्थान में सुधार लाने के उपाय करेगी ताकि संस्थान के छात्रों का बेहतर शिक्षा प्रदान की जाय एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके । एपेक्स बॉडी माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी एवं अन्य बिन्दुओं के अलावा निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करेगी।

(i) संस्थान में उपलब्ध वर्तमान सुविधा का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

(ii) संस्थान को और उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं।

(iii) गैस पाईप लाईन को कार्यरत करवाना ।

(iv) रसायन तथा आधुनिक उपकरणों को निविदा प्रकाशित कर क्रय करना ।

(v) संस्थान में क्या संसाधन की आवश्यकता है, के बारे में आकलन करना।

एपेक्स बॉडी के बैठक की कार्यवाही विभाग को भेजी जाय ।

(अनुपालन-प्राचार्य राजकीय फार्मेसी संस्थान)

3. प्राचार्य द्वारा राजकीय फार्मेसी संस्थान, पटना का फार्मेसी काउंन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कुछ आधारभूत संरचनाओं/संसाधनों की कमी के संबंध में उठायी गयी आपतियों का उल्लेख किया गया। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा बताये गये कमियों के संबंध में एक प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय कि किस-किस मामले में विभाग को कार्यवाही करनी है तथा कौन-कौन से मामले में संस्थान को कार्यवाही करनी है ताकि उठाये गये आपतियों के निराकरण हेतु शीघ्र उपाय किये जाय । प्रधान सचिव द्वारा प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान को निदेश दिया गया कि फार्मेसी

काउन्सिल ऑफ इंडिया मानक के अनुसार संस्थान में किन-किन चीजों की आवश्यकता है तथा वर्त्तमान में संस्थान में क्या-क्या संसाधन उपलब्ध है तथा क्या-क्या Gap है और Gap को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जानी है कि तालिका बनाकर उपस्थापित की जाय। प्रधान सचिव द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

P.C.I. Observation	आज की तारीख में अद्यतन स्थिति	जिम्मेवार प्रतिष्ठान	अनुपालन कितने समय में किया जाना है।	अभ्युक्ति

(अनुपालन-सचिव, प0क0/प्रशासी पदाधिकारी, प0क0/प्राचार्य राजकीय फार्मेसी संस्थान)

4. राजकीय फार्मेसी संस्थान में डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली स्टाइपेन्ड तथा संस्थान में संविदा के आधार पर कार्यरत व्याख्याता के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्राचार्य द्वारा विभाग को पूर्व में प्रस्ताव भेजा गया है । प्रधान सचिव द्वारा सचिव, प0क0 एवं प्रशासी पदाधिकारी, प0क0 को निदेश दिया गया कि इस संबंध में शीघ्र समुचित कार्रवाई करें ।

(अनुपालन-सचिव, प0क0/प्रशासी पदाधिकारी,प0क0, स्वास्थ्य विभाग)

5. समीक्षा के दौरान प्राचार्य के द्वारा बताया गया कि राजकीय फार्मेसी संस्थान के लिए प्रस्तावित नवीन भवन के लिए विभाग द्वारा पॉच करोड़ अस्सी लाख रुपये निर्गत किये गये जिसे भवन निर्माण विभाग को मार्च 2012 में संस्थान द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख एवं संबंधित पदाधिकारी को विभाग की ओर से राजकीय फार्मेसी संस्थान के नवीन भवन के निर्माण को यथाशीघ्र प्रारंभ करने के लिए प्रतिवेदन भेजा जाय। साथ ही इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग के साथ अलग से समीक्षा की जायेगी ।

(अनुपालन-प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग)

6. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया कि राजकीय फार्मेसी संस्थान को सुव्यवस्थित रुप से चलाने को सुनिश्चित करने हेतु श्री सांवर भारती (प्रशासी पदाधिकारी) Follow up करके समय-समय पर प्रधान सचिव को अवगत करायेंगे ।

(अनुपालन-प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग)

7. समीक्षा के क्रम में प्राचार्य द्वारा बताया गया कि राजकीय फार्मेसी संस्थान में व्याख्यान कक्ष की कमी को दूर करने के लिए तत्काल अस्थायी रुप से कम से कम तीन व्याख्यान कक्ष का निर्माण कराने की आवश्यकता है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि प्रस्तावित व्याख्यान कक्ष की संख्या, लंबाई तथा चौड़ाई के साथ प्रतिवेदन प्राचार्य द्वारा भेजा जाय । जबतक स्थायी भवन निर्माण न हो जाय तबतक पोटा केबिन द्वारा इसका निर्माण कराया जाय । आपदा विभाग में इस तरह के भवन बनाये जा रहे है । बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना विकास निगम को प्रस्ताव भेजा जाय ।

(अनुपालन-प्राचार्य/प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग)

8. प्राचार्य द्वारा बताया गया कि संस्थान में डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है, किन्तु छात्राओं के लिए नहीं। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि प्राचार्य द्वारा बैचलर ऑफ फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्र एवं छात्राओं के हॉस्टल के लिए समेकित प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।

(अनुपालन-प्राचार्य राजकीय फार्मेसी संस्थान)

9. प्राचार्य द्वारा बताया गया कि संस्थान में एक भी वाहन उपलब्ध नहीं है। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् (A.I.C.T.E) के नियमों के अनुसार छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु दवा कारखानों में भेजने के लिए Matador Type वाहन की आवश्यकता है संस्थान अपने उपलब्ध आवंटन से वित्त नियमावली के आलोक में आउटसोर्स पर वाहन रखने की कार्रवाई करें । यदि आवंटन की आवश्यकता हो तो आवंटन का प्रस्ताव शीघ्र भेजे, ताकि विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके ।

(अनुपालन-प्रशासी पदाधिकारी, प0क0/प्रचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान)

10. संस्थान में प्रयोगशाला को सुचारु रुप से चलाने हेतु लैब टेक्नीशियन तथा लैब अटेन्डेन्ट की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसके लिए संस्थान में चार पद लैब टेक्नीशियन तथा 12 पद लैब अटेन्डेन्ट के लिए सृजित है, जो पूर्ण रुप से रिक्त है । संस्थान में में लाईब्रेरियन तथा लाईब्रेरी अटेन्डेन्ट का एक-एक पद स्वीकृत है जो रिक्त है । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इन पदों को तत्काल रुप से भरने के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा जाए, ताकि जबतक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाय तबतक राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर रोस्टर का अनुपालन करते हुए पदों को भरने की कार्रवाई की जाए । साथ ही व्याख्याता (फार्मेसी) के रिक्त पद का रोस्टर गठित कर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर भरने की कार्रवाई की जाय । साथ ही ऑन-लाईन आवेदन भी आमंत्रित किया जाय । आई0टी0 मैनेजर ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित करने हेतु एक Programme Develop करेगी ।

(अनुपालन-कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0समिति/प्राचार्य राजकीय फार्मेसी संस्थान / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग)

11. संस्थान में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की कमी को बताते हुए प्राचार्य ने जानकारी दी कि इनकी कमी को आउट सोर्सिंग के माध्यम से पूर्ण किये जाने के लिए मौखिक रुप से सुझाव दी गयी थी। इस संदर्भ में विभाग से आदेश निर्गत किया जाय, ताकि इनकी कमी को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

12. समीक्षा के दौरान ये बात समाने आई कि संस्थान में स्थायी प्रचार्य नहीं है । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संस्थान को चलाने हेतु स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाय ।

(अनुपालन-सचिव (प0क0)/प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

30/7

(व्यास जी)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक- 367 (H.S) पटना, दिनांक- 30/07/12

प्रतिलिपिः- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7

(व्यास जी)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक- 367 (H.S) पटना, दिनांक- 30/07/12

प्रतिलिपिः- सचिव, प0 क0/निदेशक प्रमुख/प्रशासी पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

30/7

(व्यास जी)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक- 367 (H.S) पटना, दिनांक- 30/07/12

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को सूचनर्थ प्रेषित ।

30/7

(व्यास जी)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग